न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः—डी०सी० थपलियाल)

<u>प्र0क0 289 / 2010 अ०फौ०</u> उर्फ विश्वदीपसिंह भदौरिया पत्र

बंटी उर्फ विश्वदीपसिंह भदौरिया पुत्र हर्षवर्धन सिंह उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम अकलोनी थाना गौरमी जिला भिण्ड म०प्र०।

.....अपीलार्थी / आरोपी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०।प्रत्यर्थी

अपीलार्थी द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

/ / नि र्ण य / / (आज दिनांक 10—04—2015 को घोषित किया गया)

- 01. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री मनीष शर्मा के द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक 573 / 2008 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा वि0 बंटी उर्फ विश्वदीप भदौरिया में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 12.11.2010 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी / आरोपी को धारा 279, 304ए भा0दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए कमशः तीन माह एवं एक वर्ष छः माह का सश्रम कारावास एवं 500 / रूपए एवं 1500 / रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने एवं अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में कमशः एक माह व तीन माह का साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।
- 02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 24.06.2000 को समय लगभग 9–10 बजे दिन भिण्ड ग्वालियर आम रोड पर ग्राम सर्वा बाराहेट तिराहे के पीछे पुलिया पर आरोपी द्वारा जीप क्रमांक एम.पी. 07–बी–1030 को तेजी व लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाकर स्कूटर जिसमें कि कृपालिसंह व बलकारिसंह बैठे हुए थे जिन्हें कि घटना में सिर और पेरों पर गंभीर चोटें आई

थी और घायल अवस्था में उन्हें उपचार हेतु ग्वालियर अस्पता भेजा गया। जीप को रोक लिया गया था और चालक का नाम भानुप्रतापिसंह पुत्र विजयिसंह भदौरिया पता चला था। उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे में सूचनाकर्ता सित्तरिसंह के द्वारा दी जिस पर से अप.क. 104/2000 का कायम किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया और घटना स्थल से स्कूटर की जप्ती की गई। कृपालिसंह व बलकार सिंह की घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप मृत्यु हो गई, जिस पर धारा 304ए भावदंविव का इजाफा किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं संबंधित जीप की जप्ती की गई और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 279, 304ए भा0दं0वि0 के संबंध में अपराध की विशिष्टियाँ तैयार कर उसे पढकर सुनाई समझाई गई आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 12.11.2010 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दंण्डित किया गया ।
- 05. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाष एवं बिसंगतियाँ आई है और उनके द्वारा आरोपी के द्वारा ही घटना दिनांक को वाहन चलाने की बात नहीं बताई है एवं घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 12.11.2010 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार-::

डॉ० एस.एस.जादौन अ०सा० 13 के अनुसार दिनांक 28.06.2000 को मेडीकल ऑफीसर के पद पर जे.ए.एच. ग्वालियर में पदस्थ दौरान थाना कम्पू के आरक्षक बट्टूलाल के द्वारा मृतक बलकारसिंह को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। शव परीक्षण में मृतक के सिर के अगले हिस्से में रगड का निशान, वाए मेगजली रीजन में रगड का निशान, वाए कंधे में रगड का निशान, एक फटा हुटा हुआ घाँव दांई भुजा में, एक फटा हुआ घाँव वांए घुटने पर एवं एक फटा हुआ घाँव दांए घुटने पर स्थित होना पाया गया था जिसमें कि टिविया फीवला अस्थि में अस्थि भंग था। मृतक के आंतरिक परीक्षण में अंदर की झिल्ली फटी हुई थी एवं मस्तिष्क की झिल्ली के बीच में खून जमा हुआ था एवं मस्तिष्क का वांया भाग फटा हुआ था। वक्ष के अंदर तीसरी से आठवी वांई पसली टूटी हुई थी, इदय के दोनों भागों में ब्लंड उपस्थित था। आमाशय खाली था, छोटी ऑत में पंचा हुआ खाना, बडी ऑत में फीटरमेटल उपस्थिति था। यकृत पेल था, पीलिया हेल्दी एवं कंजेस्टेंड था, दोनो किडनी हेल्दी एवं पेल थी। मृतक के मस्तिष्क को सबडयूरल होमोट्रोमा एवं वांये सेरीबेल हेमीस्पीयर को चोट आई थी जो कि अंदरूनी थी जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। अपने अभिमत में बताया है कि मृतक बलकारसिंह की मृत्यु इदय एवं स्वांस गति के रूकने से हुई है जो कि उसके मस्तिष्क के दायी पिडली पर आई हुई चोट के कारण हुई होना प्रतीत होती थी जो कि पोस्टमार्टम के 6 से 24 घण्टे के बीच की है. रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

09. चिकित्सक साक्षी एस.एस.जादौन के द्वारा यह भी बताया कि गया है कि दिनांक 25.06.2000 को डॉ0 जे.एम.सोनी जे.ए.एच अस्पताल में प्रो. फोरेन्सिक एवं टॉक्सीक्लोजी के पद पर पदस्थ था। जिन्होंने मृतक कृपालसिंह जिसे कि थाना कम्पू के आर. रामनरेश के द्वारा लाए जाने पर शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण में मृतक सिर के अगले हिस्से में एक सिला हुआ घॉव, एक सिला हुआ घॉव सिर के दाहिने तरफ था एवं एक नीलगू का निशान जिसमें एक रगड का निशान दाहिने कंधे व भुजा पर था, वांए कंधे पर एक रगड का निशान था। एक सिला हुआ घॉव नाक की वांयी तरफ था, एक रगड का निशान दाहिनी अग्र भुजा पर था एवं सिला हुआ घॉव दाहिनी हथैली पर था, एक सिला हुआ घॉव दाहिने कूल्हे पर, एक रगड का निशान दाहिने घुटने पर, एक घौंपा हुआ घॉव जिसके अंदर की फीमर हड्डी का अस्थिमंग था एवं एक रगड का निशान दाहिने घुटने पर, एक घौंपा हुआ घॉव जिसके अंदर की

निशान वांए घुटने पर एवं एक नीलगू निशान गर्दन पर पीछे की तरफ वांई तरफ था। आंतरिक परीक्षण में मृतक के मस्तिष्क के अंदर दोनो झिल्लियों में खून भरा हुआ था, आमाशय में 50सीसी खाना उपस्थित था तथा मयूकोजा हेल्दी थी, छोटी आंत के अंदर डायजेस्ट भोजन था, बडी आंत के अंदर फीकल मेटल था, यकृत व प्लीहा, गुर्दा सभी स्वस्थ एवं पेल थे। डॉ0 सोनी के द्वारा अभिमत में लेख किया कि मृतक की मौत अधिक रक्त स्त्राव के कारण हुई जो कि उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आयी होने से प्रतीत होती है। मृत्यु का समय परीक्षण के 12 घण्टे का होना प्रतीत होता है। रिपोर्ट प्र.पी. 13 है जिस पर डॉ० जे०एम०सोनी के हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है कि वह डॉ० सोनी के हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि पहिचानते है।

- चिकित्सक डॉ० एस.एस.जादौन अ०सा० 13 को प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष 10. के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि स्कूटर तेज गति से आने पर पत्थर से टकरा जाए तो चोटें आना संभव है। इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा भी घटना को दुर्घटनात्मक प्रकार का होने बावत् सुझाव दिया गया है।
- मृतक कृपालसिंह और बलकारसिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने का समर्थन अभियोजन साक्षी सित्तरसिंह अ०सा० ४ जिनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 लेखबद्ध कराई गई तथा साक्षी परिमालसिंह अ०सा० 1, बच्चनसिंह अ०सा० 2, घटना के चक्षुदर्शी साक्षी केहरसिंह अ०सा० ८ एवं गुरूमुखसिंह अ०सा० ९ के कथनों से भी होती है। साक्षीगण परिमालसिंह अ०सा० 1, कहरसिंह अ०सा० 8 एवं गुरूमुख अ०सा० 9 के कथनों में स्पष्ट रूप से यह आया है कि जीप के चालक के द्वारा बलकारसिंह और कृपालसिंह के वाहन में टककर मारी गई थी जो कि जीप ने सामने से टक्कर मारी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक रामदास प्रजापति अ०सा० ६ जिनके समक्ष घटना के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अंदर घटना दिनांक को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 में भी स्पष्ट रूप से जीप के द्वारा स्कूटर में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने का उल्लेख आया है। प्र.आर. सुरेश सिंह अ0सा0 12 जिनके द्वारा थाना कम्पू से मर्ग की सूचना प्राप्त होने पर मृतक कृपालिसंह के संबंध में मर्ग प्र.पी. 10 तथा बलकारिसंह के संबंध में मर्ग प्र.पी. 11 कायम किया गया एवं मृतक कृपालिसंह के कपड़ों का शीलबंद पैकेट प्र.पी. 8 तथा मृतक बलकारिसंह के कपडों का शीलबंद पैकेट प्र.पी. 9 के अनुसार जप्त करना बताया है।
- इस प्रकार शव परीक्षण प्रतिवेदन एवं उपरोक्त साक्षियों के कथन के आधार पर कृपालसिंह एवं बलकारसिंह की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप होना स्पष्ट होता है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आरोपी के द्वारा ही वाहन जीप क्रमांक एम.पी. 07-बी-1030 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित कर मृतक कृपालसिंह व बलकार

सिंह की मृत्यु कारित की?

- अभियोजन साक्षी परिमालसिंह अ०सा० 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि कमाण्डर जीप के द्वारा स्कूटर जिसमें कि बलकारसिंह और कृपालसिंह बैठे हुए थे टक्कर मार देना और दोनों को घटना में चोटें आना तथा दोनों को ग्वालियर ले जाया जाना और दोनों की मृत्यु हो जाना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है इस दौरान साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जीप तेजी और लापरवाही से चल रही थी और तेजी व लापरवाही से चलने से ही स्कूटर में टक्कर मारी थी। साक्षी ने इस बात को भी भी स्वीकार किया है कि जीप का नम्बर एम.पी. 07 बी 1030 था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा यह स्पष्ट बताया गया है कि दुर्घटना करने वाली जीप का नम्बर उसे आज याद नहीं है, किन्तु घटना दिनांक को उसने गांडी का नम्बर देख लिया था और पीछे से जो स्कूटर वाला आ रहा था उसे जीप का नम्बर बता दिया था। इस संबंध में साक्षी बच्चनसिंह अ.सा. 2 के द्वारा भी कृपालसिंह और बलकारसिंह का एक्सीडेंट महेन्द्रा गांडी से होना और इलाज के लिए ग्वालियर जे जाना और उनकी मृत्यु हो जाना बताया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, इस दौरान भी साक्षी ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि स्कूटर कृपालसिंह चला रहा था बलकारसिंह पीछे बैठा हुआ था। जीप ने स्कूटर को टक्कर मारकर जीप चालक जीप को बाराहेट तिराहे की तरफ भगाना और जीप को पकड लेना भी उसके द्वारा बताया गया है।
- 14. घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी केहरसिंह अ०सा० 8 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर से गोहद चौराहा स्कूटर से जा रहा था। इसी दौरान बाराहेट तिराहे से 5-7 खेत आगे गोहद चौराहा की तरफ पुलिया के पास की घटना है। कृपालसिंह स्कूटर को चला रहा था और बलकारसिंह पीछे बैठा हुआ था तभी गोहद चौराहे की तरफ से जीप आई जिसे कि उसका चालक बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था और जीप चालक ने सामने से स्कूटर में टक्कर मार दी। जीप का नम्बर 1030 होना और जीप को ब्राइवर छोड़कर भाग जाना साक्षी के द्वारा बताया गया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि जीप को कोई भदौरिया चला रहा था उसका पूरा नाम मालूम नहीं। इस संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी गुरूमुख सिंह अ०सा० 9 के द्वारा भी जीप चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से जीप चलाकर कृपालसिंह व एक अन्य आदमी को टक्कर मार देना जिससे दोनों गिर पड़ना और उन्हें चोटें आना बताया है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि जीप को उसका चालक मेन रोड से बाराहेट तिराहे की तरफ भगाकर ले गया जिसे कि आगे पकड़ लिया गया। उसे पता चला कि चालक का नाम बंटी है।

- 15. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण केहरसिंह अ.सा. 8 एवं गुरूमुखिसंह अ.सा. 9 जो कि घटना उनके समक्ष घटित होना बता रहे है उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई भी तात्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभाष या विसंगति आनी दिशित नहीं होती जिससे कि उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। घटना के समय घटना स्थल के पास उक्त साक्षीगण मौजूद होने और उनके द्वारा घटना देखा जाना उनके साक्ष्य कथन से स्पष्ट होता है। इस प्रकार उक्त दोनों ही साक्षी घटना स्थल के साक्षी है जिनके द्वारा जीप चालक को जीप तेजी व लापरवाही से चलाकर स्कूटर जिसमें कि मृतक बैठे हुए थे में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना स्पष्ट रूप से बताया है। जीप चालक के द्वारा जीप को तेजी व लापरवाही से चलाने के संबंध में उक्त साक्षियों का कोई प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार इस बिन्दु पर उनका कथन अखण्डनीय रहा है।
- उपरोक्त संबंध में यद्यपि साक्षी केहरसिंह अ.सा. 8 एवं गुरूमुखसिंह अ०सा० 9 16. के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि वह जीप चलाते हुए ब्राइवर को नहीं देख पाया था एवं ड्राइवर को वह पहिचान भी नहीं सकता है। इसी प्रकार साक्षी गुरूमुखसिंह के द्वारा भी बताया गया है कि उसने एक्सीडेंट होते सौ फिट की दूरी से देखा था, जब वह घटना स्थल पर पहुँचा तो जीप भाग गई थी। इस संबंध में उनके द्वारा किए गए कथन स्वभाविक प्रतीत होते है। किसी अनजान चालक को जो कि हाइवे पर वाहन चला रहा हो जिससे कि साक्षीगण पूर्व से परिचित नहीं हों उसके नाम की जानकारी होने की उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त दुर्घटना होने के उपरांत स्वभाविक रूप से चालक स्वयं को बचाने हेतु घटनास्थल से तुरंत भागने की कोशिश करता है और वर्तमान प्रकरण में भी साक्षियों के साक्ष्य कथन में स्पष्ट आया है कि चालक दुर्घटना कारित कर तुरंत भाग गया था। इस परिप्रेक्ष्य में भी यदि साक्षियों के द्वारा चालक की पहिचान नहीं की जा सकी तो वह अस्वभाविक नहीं की जा सकती। इस संबंध में साक्षी केहरसिंह के कथन में स्पष्ट रूप से जीप का नम्बर 1030 होने का उल्लेख आया है और उसे इस बात की भी जानकारी हो गई थी कि कोई भदौरिया उक्त वाहन को चला रहा था। इसी प्रकार साक्षी गुरूमुख सिंह के द्वारा भी बताया गया है कि उसे पता चला था कि चालक का नाम बंटी था। उक्त साक्षीगण के द्वारा आरोपी से किसी रंजिश के कारण अथवा उसे झूठा लिप्त करने हेतु कोई कथन किया जा रहे हों ऐसा भी मानने का कोई आधार या कारण दर्शित नहीं होता।
- 17. जहाँ तक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी परिमालसिंह अ०सा० 1 एवं बच्चनसिंह अ०सा० 2 के कथन का प्रश्न है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही ध

गिषत किया गया है उनके सम्पूर्ण साक्ष्य को दरिकनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस संबंध में सतपालिस ह वि० दिल्ली एडिमिनिस्ट्रेशन ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 294, खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी वि० स्टेट ऑफ एम. पी. ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1853 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है कि कोई गवाह पक्ष विरोधी हो गया है तो इस कारण उसके पूरा साक्ष्य वासआउट नहीं होता। यदि उसकी साक्ष्य का कुछ भाग अभियोजन मामले का समर्थन करता है और वह भाग सही पाया जाता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में साक्षी परिमालिस इं अ०सा० १ के कथनों में स्पष्ट रूप से जीप चालक के द्वारा जीप को तेजी व लापरवाही से चलाने से स्कूटर में टक्कर मारने और जीप का नम्बर एम.पी. 07 बी. 1030 होने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है। इसी प्रकार साक्षी बच्चनिसंह के कथन से भी जीप के द्वारा स्कूटर को टक्कर मार देना और जीप चालक टक्कर मारने के पश्चात् भाग जाना के संबंध में अभियोजन प्रकरण की पुष्टि होती है।

18. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी अनिल जैन अ0सा0 11 जो कि दुर्घटना कारित करने वाली वाहन जीप एम.पी. 07 बी. 1030 का स्वामी है, के द्वारा आरोपी बंटी उर्फ विश्दीप को जानना स्वीकार करते हुए बताया है कि वह उसकी उक्त जीप को चलाता था और आरोपी के द्वारा जीप चलाते समय एक्सीडेंट हुआ था इस संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि आरोपी उसी जीप को चलाता था। इस संबंध में उसके द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी प्र.पी. 7 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने गाडी आरोपी बंटी को ही दी थी और इस सुझाव से इंनकार किया है कि वह किसी भानुप्रताप नाम के ड्राइवर को जानता है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। उसके द्वारा आरोपी को जबरन घटना में लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है।

19. अभियोजन साक्षी सित्तरसिंह अ०सा० 4 जिनके द्वारा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उक्त साक्षी के द्वारा दुर्घटना में कृपालसिंह और बलकारसिंह की मृत्यु हो जाना स्वीकार किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु शेष घटना के संबंध में उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इसी प्रकार साक्षी भानुप्रताप अ.सा. ७ के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। किन्तु मात्र इस आधार पर साक्षी सित्तरसिंह अ०सा० ४, भानूप्रताप अ०सा० ७ के द्वारा किन्हीं अज्ञात कारणों से अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया जा रहा है, इसके आधार पर अभियोजन प्रकरण अविश्वसनीय या बनावटी होने नहीं माना जा सकता। जबकि

इस संबंध में अभियोजन के अन्य साक्षियों की स्पष्ट साक्ष्य आई है।

यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा में तत्कालीन डी.एस.पी. रामदास प्रजापति अ०सा० ६ के द्वारा स्वयं लिखी गई है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 उनके द्वारा लेखबद्ध करना उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक को ही घटना के पश्चात् बिना किसी बिलम्व के दर्ज कराई जानी स्पष्ट होती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सित्तरसिंह रिपोर्ट लिखाने आया था। अभियोजन साक्षी रामदास प्रजापति अ०सा० ६ के द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 2 बनाया जाना जिस पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है जो कि नक्शा मौका पर बी से बी भाग पर सित्तरसिंह अ०सा० 4 और ए से ए भाग पर लल्लूसिंह अ०सा० 3 के द्वारा हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। यद्यपि साक्षी लल्लूसिंह पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जीप क्रमांक एम.पी. 07 बी 1030 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 बनाना और घटनास्थल से बजाज सुपर स्कूटर जिसका चैसेस नम्बर 80401 जप्त कर जप्ती प्र.पी. 2 बनाना भी साक्षी रामदास प्रजापति के द्वारा बताया गया है। साक्षी रामदास प्रजापति के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। घटनास्थल के नक्शमोका प्र.पी. 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना सडक के मध्य में हुई है जो कि जीप चालक की उपेक्षा को दर्शाती है। जप्तशुदा वाहन एम.पी. 07 बी. 1030 जिसकी कि मैकेनिकल जॉच रामअवतार अ0सा0 10 के द्वारा की गई है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वाहन जीप का इंजन, ब्रेक, स्टेरिंग, हॉर्न क्लिच सही होने पाए गए थे। इस प्रकार वाहन में किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं था, यह उक्त साक्षी के कथन से स्पष्ट है। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना जिसमें कि 21. कृपालिसंह और बलकारिसंह की मृत्यु हुई है वह जीप क्रमांक एम.पी. 07 बी. 1030 के चालक के द्वारा घटना के सयम जीप को उतावलेपन अथवा उपेक्षा पूर्वक चलाए जाने के फलस्वरूप होनी प्रमाणित है जो कि इस संबंध में इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी केहरसिंह अ०सा० 8 और गुरूमुख सिंह अ0सा0 9 के द्वारा स्पष्ट रूप से जीप चालक के द्वारा जीप को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में बताया है और उक्त बिन्दु पर उपरोक्त साक्षियों का कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में इस बिन्दु पर साक्षियों के कथन अखण्डनीय है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी परिमालसिंह अ०सा० 1 के द्वारा भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। जीप तेजी व लापरवाही के द्वारा चलाई जा रही थी जिसका भी कोई प्रतिखण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। जीप चालक की उपेक्षा नक्शामौका प्र.पी. 1 के आधार पर भी दर्शित होती है जिसमें कि घटनास्थल बीच सड़क पर होना बताया गया है। बीच सड़क पर सामने से टक्कर मारना जीप चालक की उपेक्षा को इंगित करता है। घटना के

समय उक्त जीप को आरोपी के द्वारा ही चलाया जा रहा था यह तथ्य साक्षी अनिल जैन अ०सा० 11 के कथन जिसकी कि सम्पुष्टि साक्षी केहरसिंह अ०सा० 8, गुरूमुखसिंह अ०सा० 9 के कथन से भी होती है। इस संबंध में आरोपी के द्वारा अभियुक्त परीक्षण के दौरान उसे रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया गया है, किन्तु उसे रंजिशन झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी सम्पूर्ण साक्ष्य के उपरांत मानने का कोई आधार नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है जो कि इस बात को प्रतािखण्डित करता है कि आरोपी घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन को नहीं चला रहा था।

- 22. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण को संदेह से परे सिद्ध मानते हुए कि उसके द्वारा दिनांक 24.06.2000 को दिन के 09—10 बजे करीब भिण्ड ग्वालियर आम रोड पर बाराहेट चौराहे के पीछे पुलिया पर वाहन जीप कमांक एम.पी. 07 बी. 1030 को उतावलेपन अथवा उपेक्षा पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा जीप से टक्कर मारकर कृपालिसंह और बलकारिसंह की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है को प्रमाणित मानते हुए आरोपी बंटी उर्फ विश्दीप को धारा 279, 304ए भा0दं0िव0 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध उहराये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभिलेख में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य पर उचित रूप से विचार करते हुए और साक्ष्य का उचित मूल्यांकन कर आरोपी को दोषसिद्ध उहराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के उहराई गई दोषसिद्ध की पुष्टि की जाती है।
- 23. विचारणीय न्यायालय के द्वारा आरोपी बंटी उर्फ विश्वदीप को धारा 279 भा०दं०वि० के अंतर्गत तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं धारा 304ए भा०दं०वि० के अपराध हेतु एक वर्ष छः माह के सश्रम कारावास एवं 1500/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि आरोपी को दिए गए उपरोक्त दण्डादेश अत्यधिक कठोर है। आरोपी सन् 2000 से लगातार न्यायालय में उपस्थिति होकर विचारण का सामना कर रहा है जो कि पर्याप्त दंड हो चुका है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि धारा 279 भा०दं०वि० एवं धारा 304ए भा०दं०वि० के अंतर्गत पृथक पृथक से दण्डादेश पारित किया जाना उचित नहीं है।
- 24. जहाँ तक आरोपी को दिए गए दंड का प्रश्न है। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को 304ए भा0दं0वि0 के साथ—साथ 279 भा0दं0वि0 के अंतर्गत भी पृथक से दण्डादेश से दंडित किया गया है। यद्यपि आरोपी को उक्त दोनों धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है, किन्तु धारा 71 भा0दं0वि0 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में दोनों के लिए

पृथक—पृथक दण्डादेश दिया जाना उचित नहीं है। ऐसी दशा में धारा 279 भाठदंठिक के अंतर्गत दी गई तीन माह के सश्रम कारावास की सजा एवं पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दी गई एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है।

25. आरोपी बंटी उर्फ विश्वदीप जिसे कि धारा 304ए भा0दं0वि० के अंतर्गत एक वर्ष छः माह के सश्रम कारावास एवं 1500/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। घटना जिसमें कि दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जो कि आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा पूर्वक चलाने के फलस्वरूप घटना घटित होनी प्रमाणित है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304ए भा0दं0वि० जिसमें कि मोटर वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले प्रकरणों में दण्ड कठोर एवं शिक्षाप्रद होना चाहिए और किसी प्रकार की उदारता नहीं वरती जानी चाहिए। जैसा कि इस संबंध में बी.नागभूषन वि० स्टेट ऑफ कर्नाटका(2008)5 एस.सी.सी. 730 तथा अन्य प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऐसी दशा में घटना की प्रकृति के अनुरूप आरोपी को धारा 304ए भा0दं0वि० के अंतर्गत डेढ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 1500/— रूपए के अर्थदण्ड का जो दण्डादेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है वह सर्वथा उचित होना पाया जाता है। उक्त दण्डादेश को कम करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

26. तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 279 भा०दं०वि० के अंतर्गत प्रदत्त किए गए तीन माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 500/— रूपए के अर्थदण्ड के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है, किन्तु धारा 304ए भा०दं०वि० के अंतर्गत प्रदत्त की गई एक वर्ष छः माह के सश्रम कारावास एवं 1500/— रूपए के अर्थदण्ड के दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की अपील उक्त परिप्रेक्ष्य में निरस्त की जाती है।

27. प्रतिकर अदायगी एवं जप्तशुदा वाहन के संबंध में अधीनस्थ के द्वारा दिया गया आदेश यथावथ रखा जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके उन्मोचित किया जाता है। आदेश की एक प्रतिलिपि सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बापस भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड